5/7/19
17-9-19

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. घीसा पुत्र स्व0 काना जाति कुम्हार निवासी ग्राम अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नि स्व0 मोडू जाति कुम्हार निवासी ग्राम अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा – 212 राज0 काश्तकारी अधि0 नंबर 76/2019

ऑन लाईन नंबर ~~2019/00076~~ 2020/00263

वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर **वकील अप्रार्थीगण** ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08.04.2019	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दू सं0 2 में वर्णित ग्राम अंराई स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 2826 रकबा 116–09–00 भूमि में अप्रार्थी सं0 1 लगायत 11 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का कि आराजी में निहित हिस्सा 1/16 हिस्से का बैचान, हस्तान्तरण, रहन, विरासत नामान्तकरण नहीं करे एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, कृषकीय कार्य में किसी प्रकार की गदाखलत उत्पन्न नहीं करे एवं प्रार्थीगण की भूमि में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण नहीं करने बाबत् अप्रार्थीगण एवं अधिनस्थ कर्मचारी, सगे सम्बन्धि एवं अन्य व्यक्तियों को अर्थात ताफैसला मूल वाद तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सूनी जाकर मनन किया गया। प्रार्थी को प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति कारित है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौका तथा रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से दिनांक 16/5/19 तक पाबन्द किया जाता है एवं उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में आज दिनांक से पूर्व कोई विक्रय विलेख निष्पादित हुआ है तो उस पर उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। अतः अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 16/5/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	
16/5/19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी सं. 2 कि ओर से श्री गणेश प्रजापत जी द्वारा मूलवाद में वकालतनामा पेश किया व 1,3,4,5 कि ओर से U.T. पेश कर आगामी तारीख पर वकालतनामा व जवाब पेश करने का निवेदन किया गया। P.O. सा. आज अवकाश पर पधारे अतः पत्रावली दि. 5/7/19 को पेश हो।	

22/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. है

अहम हेतु

पत्रावली दिनांक 26/9/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

राजकुमार

26/9/25

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप. है

बहस हेतु ... अन्तिम ... अवसर

पत्रावली दिनांक 7/11/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

7/11/25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 21.11.25 को पेश हो

21/11/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप. है

वास्ते बहस हेतु

पत्रावली दिनांक 28/11/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

28/11/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप. है पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक [illegible] को पेश हो

[illegible] पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप. पत्रावली [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible]